होगा। रसीद के साथ–साथ अधिशासी अधिकारी द्वारा पच्चास) से कम न होगा।
धनराशि जमा होने का प्रमाण–पत्र भी दिया जायेगा।

4––यदि किसी कारण वश सम्पत्ति का स्थानान्तरण नहीं हो पाता है तो जेता कर्ता द्वारा एक माह के अन्दर

नृपसिंह नपलच्याल,
आयुक्त,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

खण्ड–घ––पंचायतीराज

15 नवम्बर, 1995 ई0

सं0 512–13/23–30––94–95––जिला पंचायत फर्रुखाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञप्ति सं0 4084/ तेईस–2–86, दिनांक 4 मई, 1986 द्वारा खाद्य पदार्थों, वस्त्र लेखनसामग्री तथा अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं के विनियमन सम्बन्धी प्रकाशित उपविधियों की धारा संख्या 5 व 8 में निम्नलिखित संशोधन किया है जो आयुक्त कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242 (2) के प्रयोजनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित की जाती है। जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी :

धारा संख्या	स्वीकृत उपविधियां	संशोधित उपविधियां
6	इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी किये गये किसी भी लाइसेंस का नवीनीकरण माह अप्रैल में कराया जाना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क नवीन लाइसेंस के बराबर होगा।	इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी किये गये किसी भी लाइसेंस का नवीनीकरण 31 मार्च तक कराना आवश्यक है 31 मार्च तक नवीनीकरण न होने की दशा में 31 मार्च के बाद लाइसेंस बनवाने की तिथि तक 5 रु0 मासिक अर्थदण्ड भुगतान करना होगा।

जिला पंचायत कन्नौज

छायाप्रति प्रमाणित।

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, कन्नौज

जिला पंचायत कन्नौज

स्वीकृत उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस शुल्क निम्न प्रकार होगा:—

धारा संख्या	स्वीकृत उपविधियां	प्रतिवर्ष रु०	धारा संख्या	संशोधित उपविधियां	प्रतिवर्ष रु०
8	1 गल्ले के व्यापारी व आढ़ती 10 कुन्तल से अधिक	100.00	8	1 गल्ले के व्यापारी आढ़ती 10 कुन्तल से अधिक	200.00
	2 गल्ले के आढ़ती	50.00		2 गल्ले के आढ़ती	500.00
	3 गल्ले के व्यापारी	50.00		3 गल्ले के फुटकर व्यापारी 10 कुन्तल तक	100.00
	4 कपड़े के व्यापारी	50.00		4 कपड़े के व्यापारी	100.00
	5 कपड़े के थोक व्यापारी	100.00		5 कपड़े के थोक व्यापारी	1000.00
	6 कपड़े की फेरी की दुकान	10.00		6 कपड़े की फेरी की दुकान	20.00
	7 दुकान परचून	20.00		7 दुकान परचून	50.00
	8 दुकान किराना थोक/फुटकर	40.00		8 दुकान किराना थोक फुटकर	100.00
	9 दुकान हलवाई थोक विक्रेता	50.00		9 दुकान हलवाई थोक विक्रेता	100.00
	10 केवल मिठाई विक्रेता हलवाई	20.00		10 केवल मिठाई विक्रेता हलवाई	30.00
	11 दुकान मिठाई/नमकीन चाट	30.00		11 दुकान मिठाई/नमकीन चाट	50.00
	12 होटल खाना, पराठा व मिठाई सहित	50.00		12 होटल खाना, पराठा व मिठाई सहित	100.00
	13 होटल खाना	30.00		13 होटल खाना	75.00
	14 होटल खाना चाय रेस्टोरेंट	40.00		14 होटल खाना, चाय, रेस्टोरेंट	100.00
	15 दुकान पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी	20.00		15 दुकान पान, बीड़ी, सिगरेट, खैनी	20.00
	16 दुकान फल व सब्जी सहित	30.00		16 दुकान फल व सब्जी सहित	30.00
	17 दुकान सब्जी	10.00		17 दुकान सब्जी	20.00
	18 दुकान फल	10.00		18 दुकान फल	20.00
	19 चमड़ा, चमड़े की दुकान, जूता निर्माणशाला	60.00		19 चमड़ा, चमड़े की दुकान, जूता निर्माणशाला	100.00
	20 जूते का व्यापारी, चमड़ा/प्लास्टिक	30.00		20 जूते का व्यापारी, चमड़ा प्लास्टिक	50.00
	21 चमड़े के काम पर	10.00		21 चमड़े के काम पर	30.00
	22 इमारती लकड़ी की दुकान	50.00		22 इमारती लकड़ी की दुकान	100.00
	23 जलाने की लकड़ी की टाल	40.00		23 जलाने की लकड़ी की टाल	100.00
	24 फर्नीचर की दुकान/निर्माणशाला	30.00		24 फर्नीचर की दुकान/निर्माणशाला	100.00
	25 धातु के बर्तनों की दुकान	40.00		25 धातु के बर्तनों की दुकान	100.00
	26 सर्राफे की दुकान (सोना चांदी)	50.00		26 सर्राफे की दुकान/सोना चांदी	250.00
	27 पुस्तक लेखन सामग्री, प्रेस सहित	100.00		27 पुस्तक लेखन सामग्री, प्रेस सहित	200.00
	28 पुस्तक लेखन सामग्री विक्रेता	30.00		28 पुस्तक लेखन सामग्री विक्रेता	50.00
	29 बिसातखाना थोक व्यापारी	60.00		29 बिसातखाना थोक व्यापारी	100.00
	30 बिसातखाना फुटकर व्यापारी	20.00		30 बिसातखाना फुटकर व्यापारी	50.00
	31 शाकरी	20.00		31 शाकरी	30.00
	32 साइकिल मरम्मत सामान सहित	20.00		32 साइकिल मरम्मत सामान सहित	50.00
	33 साइकिल पुर्जे मरम्मत	10.00		33 साइकिल पुर्जे मरम्मत, पंचर जोड़ना	मुक्त
	34 साइकिल विक्रेता			34 साइकिल विक्रेता	250.00
	35 पम्पसेट विक्रेता एवं मरम्मत आदि	100.00		35 पम्प सेट विक्रेता, मरम्मत आदि	500.00

प्रमाणित

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, कन्नौज

1	2	3
		रु० प्रति वर्ष
36	कृषि यन्त्र डीलर फुटकर, हल एवं चाप कटर आदि	50.00
37	मोटर/ट्रैक्टर, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत दुकान	50.00
38	दुकान मोटर पार्ट्स	30.00
39	दुकान बिजली मोटर मरम्मत, बिक्री	50.00
40	दुकान लाउडस्पीकर किराया मरम्मत, रेडियो टेप मरम्मत व बिक्री	40.00
41	डीजल पेट्रोल पम्प	100.00
42	डीजल/मिट्टी तेल डीलर	20.00
43	दुकान दूध/दही, खोया आदि	20.00
44	दुकान वाशरमैन, लांड्री	20.00
45	हेयर कटिंग सैलून	20.00
46	दुकान इमारती लोहा टीन शेड	50.00
47	मेडिकल स्टोर	50.00
48	मेडिकल प्रैक्टिशनर, वैद्य, डाक्टर, हकीम	30.00
49	खाद विक्रेता थोक	50.00
50	सीमेंट डीलर	50.00
51	सीमेंट से बनी जाली, गमले, नाद, टंकी आदि सामान विक्रेता	100.00
52	दुकान रूई बारदाना	20.00
53	दुकान रेडीमेड कपड़ा	20.00
54	दुकान कपड़ा सिलाई टेलरिंग हाउस	50.00
55	दुकान सिलाई एक मशीन	20.00
56	दुकान चबैना मय मिठाई	20.00
57	आढ़ती आलू, फल, प्याज, सब्जी आदि	100.00
58	आलू का व्यापारी	100.00
59	दुकान मधुशाला, देशी/अंग्रेजी	100.00
60	दुकान भांग/गांजा, चरस, अफीम आदि	20.00
61	दुकान बढ़ई/लोहारगीरी	20.00
62	बिजली का सामान बिक्रेता/मरम्मत	30.00
63	कृषि बीज भण्डार	20.00
64	दुकान घड़ी बिक्री/मरम्मत	20.00
65	टेन्ट/फर्नीचर, शामियाना आदि	30.00
66	बांस, बल्ली की दुकान	..
67	बांस, बल्ली, किराया भण्डार	..
68	लकड़ी, पत्थर कोयला की दुकान	..
69	घी/तेल की दुकान	..
70	सेनेट्री फिटिंग में प्रयोग आने वाली दुकान	..

1	2	3
		रु० प्रति वर्ष
36	कृषि यन्त्र डीलर फुटकर, हल एवं चाप कटर आदि	100.00
37	मोटर/ट्रैक्टर, मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत की दुकान	100.00
38	दुकान मोटर पार्ट्स	100.00
39	दुकान बिजली मोटर मरम्मत, बिक्री	[illegible]
40	दुकान लाउडस्पीकर किराया, मरम्मत, रेडियो, टेप मरम्मत एवं बिक्री	[illegible]
41	डीजल, पेट्रोल पम्प	1000.00
42	डीजल/मिट्टी तेल डीलर	100.00
43	दुकान दूध/दही, खोया आदि	50.00
44	दुकान वाशर मैन/लांड्री	30.00
45	हेयर कटिंग सैलून	50.00
46	दुकान इमारती लोहा, टीन शेड	200.00
47	मेडिकल स्टोर	100.00
48	मेडिकल प्रैक्टिशनर, वैद्य, डाक्टर, हकीम	100.00
49	खाद विक्रेता थोक/फुटकर	100.00
50	सीमेन्ट डीलर	200.00
51	सीमेन्ट से बनी जाली, नाद, टंकी, गमले आदि विक्रेता	200.00
52	दुकान रूई बारदाना	50.00
53	दुकान रेडीमेड कपड़ा	50.00
54	दुकान कपड़ा सिलाई टेलरिंग हाउस	100.00
55	दुकान सिलाई मशीन एक	30.00
56	दुकान चबैना मय मिठाई (गुड़)	निःशुल्क
57	आढ़ती आलू, फल, प्याज, सब्जी आदि	500.00
58	आलू का व्यापारी	200.00
59	दुकान मधुशाला देशी/अंग्रेजी	500.00
60	दुकान भांग, गांजा, चरस, अफीम आदि	100.00
61	दुकान बढ़ई/लोहारगीरी	30.00
62	बिजली का सामान विक्रेता/मरम्मत	50.00
63	कृषि बीज भण्डार	50.00
64	दुकान घड़ी बिक्री/मरम्मत	50.00
65	टेन्ट/फर्नीचर शामियाना भण्डार	200.00
66	बांस; बल्ली की दुकान	100.00
67	बांस, बल्ली किराया भण्डार	200.00
68	लकड़ी, पत्थर, कोयला की दुकान	100.00
69	घी/तेल की दुकान	50.00
70	सेनेट्री फिटिंग में प्रयोग आने वाली दुकान	100.00

प्रमाणित

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, कन्नौज

1	2	3
		रु० प्रतिवर्ष
71	भूसा व चारे की दुकान	
72	गैस बत्ती/जेनरेटर आदि किराये की दुकान	
73	बैंड बाजा की दुकान	
74	आतिशबाजी की दुकान	
75	कुल्फी, बर्फ, आइसक्रीम की दुकान	
76	लस्सी, शर्बत, सोतपेय	
77	रंग, पेंट व चूना की दुकान	
78	रस्सी/बान/सुतली/निवाड़/मूंज/टाट/बोरा आदि की दुकान	
79	पोल्ट्री फार्म	
80	डेरी फार्म	
81	नर्सरी फार्म	
82	बीड़ी ब्रांच	
83	ढाबा/खाने का बड़ा होटल	
84	खाद विक्रेता फुटकर	20.00
85	दुकान काठ के खोल में पान, बीड़ी आदि	20.00
86	चाट तथा चाय	10.00
87	दुकान पारचून	10.00
88	अन्य किसी प्रकार की दुकान जिसकी लागत कम से कम 5000.00 से अधिक हो	

(1)	(2)	(3)
		रु० प्रतिवर्ष
71	भूसा व चारे की दुकान	50.00
72	गैस बत्ती/जेनरेटर आदि किराये की दुकान	50.00
73	बैंड बाजा की दुकान	100.00
74	आतिशबाजी की दुकान	100.00
75	कुल्फी, बर्फ, आइसक्रीम की दुकान	50.00
76	लस्सी, शर्बत, शीतपेय	30.00
77	रंग, पेंट व चूना की दुकान	50.00
78	रस्सी/बान/सुतली/निवाड़/मूंज/टाट/बोरा आदि की दुकान	30.00
79	पोल्ट्री फार्म	100.00
80	डेरी फार्म	100.00
81	नर्सरी फार्म	100.00
82	बीड़ी ब्रांच	2000.00
83	ढाबा/खाने का बड़ा होटल	200.00
84	खाद विक्रेता फुटकर	मुक्त
85	दुकान काठ के खोल में पान, बीड़ी आदि	मुक्त
86	चाट तथा चाय	मुक्त
87	दुकान पारचून	मुक्त
88	अन्य किसी प्रकार की दुकान जिसकी लागत कम से कम 5000.00 रु० से अधिक हो	30.00

(ह०) अस्पष्ट,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

---

30 अक्तूबर, 1995 ई०

सं० 1058/79—सो० प्र० श० 0-95-96—शासनादेश संख्या 1948/नौ-9-[illegible]-93-12 (जनरल)-93, दिनांक 17 मई, 1993 एवं शासनादेश संख्या 1234/नौ-9-95-12-ज-93, शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1995 द्वारा संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम, 1916 यथा संशोधित, धारा 301 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम 1916 को धारा 298 के अधीन उन निजी वाहनों/कान्ट्रेक्ट बसों, जो कि नगर पंचायत क्षेत्र, पम्या की सीमान्तर्गत प्रवेश करते हों, पर प्रवेश शुल्क उपनियम, 1993 बनाये गये हैं। उक्त प्रवेश शुल्क से प्रभावित व्यक्तियों से आपत्ति एवं सुझाव मांगे गये हैं। किन्तु निर्धारित अवधि (15 दिन) के अन्दर इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः उक्त प्रवेश शुल्क उपविधियों को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है, जो कि गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधियां

1—संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ—(1) यह उपविधि नगर पंचायत पम्या, जिला टिहरी गढ़वाल (निजी वाहनों एवं कान्ट्रेक्ट बसों पर प्रवेश शुल्क) उपविधि, 1993, कहलायेगी।

(2) यह उपविधि नगर पंचायत द्वारा पर्यटकों के प्रयोजनार्थ समय पर नियत सीमा में प्रवेश पर प्रभावी होगी।

प्रमाणित

155 प

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, कन्नौज

खण्ड—घ, जिला पंचायत

13 जून, 2014 ई0

सं0 2290/23-9-2012-13—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 143 के साथ पठित 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, कन्नौज ने अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी भट्टी आदि के भट्टों को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से उपविधियां बनायी गयी है। सर्वसाधारण के सुझाव/आपत्ति प्रकाशन की तिथि से एक माह के अन्दर आमन्त्रित की जाती है तथा उसके बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। उपविधि की पृष्टि आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) की जानी है। उपविधि शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

उपविधियां

1—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म का या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें आदि जनपद कन्नौज के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी भट्टी आदि बिना जिला पंचायत कन्नौज से लाइसेन्स प्राप्त किये न स्वयं बनायेंगे न फूंकने और न किसी और से बनवायेगा और न फुंकवायेगा।

2—इन उपविधियों के अन्तर्गत दिये जाने वाला लाइसेन्स/अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा—

(अ) आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय ऐसी इमारतें स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने के प्रयोग में लाये जाते हों, ईट भट्टा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी भट्टी 200 मी0 की दूरी के अन्दर न बनाया जायेगा या फूंका जायेगा न ही बनवाया जायेगा।

(ब) सार्वजनिक राष्ट्रीय या राज्य मार्गों के मध्य से 200 फीट तथा अन्य मार्गों से 25 मी0 के भीतर ईट भट्टा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी भट्टी से सम्बन्धित भट्टे का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ही उसके बनाने या निर्माण या फूंकने का प्रयत्न किया जायेगा।

(स) 1—आम के बागान से ईट भट्टे की दूरी पश्चिम दिशा में 1.5 कि0मी0 तथा उत्तर दक्षिण दिशा में 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए।

2—उपरोक्त निर्धारित दूरी आम के केवल देशी या कलमी बागों पर लागू होगी, जिसका क्षेत्रफल अकेले या कई बागों का संयुक्त रूप से ढाई एकड़ से कम न हो। आम के बागों तथा उनकी पौधशालाओं (नर्सरी) में कोई अन्तर नहीं समझा जायेगा। उनकी बागों का क्षेत्रफल संयुक्त समझा जायेगा जो एक दूसरे से मिले हो।

3—जिला पंचायत कन्नौज के मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत करने पर कार्याधिकारी, जिला पंचायत लाइसेसिंग अधिकारी होंगे, जिनको इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस देने बदलने/समाप्त करने, निलम्बित करने, न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने वापस लेने तथा सुलह कराने का पूर्ण अधिकार होगा।

4—लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध अध्यक्ष, जिला पंचायत को 30 दिन के अन्दर अपील की जा सकती है, इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा।

5—लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वर्ष एक अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

6—अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने या उसका नवीनीकरण करने का आवेदन निर्धारित रूप पर किया जायेगा, जो निर्धारित शुल्क जमा करने पर जिला पंचायत कार्यालय से प्राप्त होगा। इसका मूल्य नये भट्टे हेतु रु0 100.00 तथा नवीनीकरण हेतु रु0 50.00 प्रति आवेदन होगा। आवेदन-पत्र के साथ प्रार्थी स्थल का राजस्व अभिलेख जो 06 माह से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी दूसरे से लिया गया है तो उसका इकरारनामा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कराकर प्रस्तुत करना होगा।

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, कन्नौज

7–अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र, कार्य प्रारम्भ करने में से एक माह पूर्व जिला पंचायत कार्यालय कन्नौज में किया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना चाहते हो तो पूर्व अनुज्ञा-पत्र की तिथि समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व आगामी वर्ष का अनुज्ञा-पत्र करना आवश्यक होगा।

8–अनुज्ञा-पत्र शुल्क निम्नवत् होगा–

क्रम संख्या	व्यवसाय का विवरण	रुपया वार्षिक
1	चिमनी दार ईट भट्टा अनुज्ञा-पत्र शुल्क	10,000.00
2	लहनावाला देशी पद्धति ईट निर्माण	2,000.00
3	टाइल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	5,000.00
4	इंजन शक्ति द्वारा चलित सुर्खी तथा चूने की भट्टी लगाने का शुल्क	5,000.00
5	बैलों द्वारा चलित चक्की से भट्टी लगाने पर	2,000.00

9–भट्टे की ईटों पर बनाने का वर्ष तथा भट्टा या फर्म का नाम, उसका चिन्ह या ट्रेड मार्क अंकित करना अनिवार्य होगा।

10–यदि ईट भट्टा, टाइल्स, खपड़ा, चूना तथा सुर्खी भट्टी मालिक आदि लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करें, तो उसके विरुद्ध धारा 133 सी0आर0पी0सी0 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

(1) प्रत्येक वर्ष के 01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण कराने पर रुपये 1,000.00 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा इसके उपरान्त लाइसेन्स न होने पर भट्टा मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

(2) कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देगें जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिनका अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला पंचायत का कोई अन्य कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिए की गयी हो, मांगे तो देने से इन्कार नहीं करेंगे।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, कन्नौज यह निर्देश देती है जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रुपये 1,000.00 तक होगा। ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे पश्चात प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में सिद्ध हो सकता है अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा। जो तीन मास तक हो सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर।

पी0एस0यू0पी0–16 हिन्दी गजट--भाग 3–2014 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

प्रमाणित

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, कन्नौज

जिला पंचायत कन्नौज
C/10

दिनांक , 1995 ई0।

संख्या 4053-54/21-31 जी0प0- जिला पंचायत फर्रुखाबाद ने -
जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुवध, पशुवधशाला तथा मांस मछली के
विक्रय को नियमित एवं नियंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति सं0 4492/तीईस -87-77
दिनांक 15-6-78 द्वारा प्रकाशित उपविधियों की धारा 5 व 7 में निम्न
लिखित संशोधन किया है, जो आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा पुष्टि
किये जाने के पश्चात उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवम् जिला पंचायत अधिनियम 1961
की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ एतद द्वारा प्रकाशित की जाती हैं:-

धारा सं0	पूर्व में स्वीकृत उपविधियाँ	संशोधित उपविधियाँ
5-	इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस शुल्क निम्नलिखित होगा जो प्रतिवर्ष अप्रैल माह में जमा किया जायेगा। लाइसेंस की अवधि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी:-	5- इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस शुल्क निम्नलिखित होगा जो प्रतिवर्ष अप्रैल माह से पूर्व जमा किया जायेगा। लाइसेंस की अवधि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक की होगी:-
	(क) पशुवधशाला स्थाई = 400/- प्रतिवर्ष	(क) पशुवधशाला स्थाई = ~~200~~ 2000/- रु0 प्रति वर्ष
	(ख) पशुवधशाला अस्थाई (मेला बाजार) = 100/- "	(ख) पशु वधशाला (मेला बाजार) = 1000/- "
	(ग) मांस बिक्रेता = 30/- "	(ग) मांस विक्रेता = 100/- "
	(घ) मछली बिक्रेता = 30/- "	(घ) मछली विक्रेता = 50/- "
	(ङ) मांस/ मछली ढोनेवाली गाड़ियाँ = 100/- "	(ङ) मांस/ मछली ढोने वाली गाड़ियां = 500/- "
7-	लाइसेंस का प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना आवश्यक होगा, नवीनीकरण का शुल्क वहीं होगा जो नवीन लाइसेंस हेतु निर्धारित है। नवीन लाइसेंस हेतु प्रार्थनापत्र जिला पंचायत फर्रुखाबाद द्वारा निर्धारित फार्म पर प्रस्तुत किया जायेगा।	7 - लाइसेंस का प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा नवीनीकरण का शुल्क भी वहीं होगा जो नवीन लाइसेंस हेतु निर्धारित है। नवीन लाइसेंस हेतु प्रार्थना पत्र जिला पंचायत फर्रुखाबाद को निर्धारित फार्म पर प्रस्तुत किया जायेगा, प्रत्येक वर्ष लाइसेंस का 31 मार्च तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। यदि 31 मार्च तक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं कराया गया तो 31 मार्च के पश्चात धारा 5 में निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त निम्नलिखित बिलम्ब शुल्क प्रतिमाह भुगतान करना होगा (क) पशुवधशाला स्थायी = ~~100~~ 500/- रु0 (ख) पशुवधशाला अस्थायी (मेला बाजार) - 50/- रु0 (ग) मांस बिक्रेता = 5/- रु0 (घ) मछली बिक्रेता = 5/- रु0 (ङ) मांस मछली ढोने वाली गाड़ियाँ = 50/- रु0

प्रमाणित

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, कन्नौज

Scanned by TapScanner

G/100

दिनांक . 1995 ई0

संख्या 4055-56/23-20-89-75 जिला पंचायत फर्रुखाबाद के क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में लगाये जाने वाले पशु बाजारों/ नखासों/ पशु प्रदर्शनियों/ औद्योगिक प्रदर्शनियों को तथा मेलों के सम्बन्ध में विज्ञप्ति सं04322/23=89-75 दिनांक 30-5-87 द्वारा प्रकाशित उपविधियों की धारा 6 में निम्नलिखित संशोधन किया है, जो आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा पुष्टि किये जाने के पश्चात उ0प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ एतद द्वारा प्रकाशित की जाती हैं:-

धारा सं0	पूर्व में स्वीकृत उपविधियाँ	संशोधित उपविधियाँ
6-	लाइसेंस शुल्क निम्नलिखित होगी जो जिला निधि फर्रुखाबाद में जमा की जायेगी:-	6 (अ) लाइसेंस शुल्क निम्नलिखित होगा जो जिला निधि फर्रुखाबाद में जमा होगा।
	1- 1500/-रु0 वार्षिक आय के नखासों/ बाजारों पर = 100/-वार्षिक	1- वर्ष में एक बार या दो बार एक माह या उससे अधिक समय के लिए लगने वाले मेलों पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क 5000/-रु0 वार्षिक
	2- 1500/-से अधिक किन्तु 2000/-की आय तक के नखासों/ बाजारों पर = 150/-रु0 वार्षिक	2- वर्ष में एक बार या दो बार 15 दिन से अधिक या एक माह से कम अवधि के लिए लगने वाले मेलों पर वार्षिक शुल्क = 3000/-रु0 वार्षिक
	3- 2000/-रु0 से अधिक किन्तु 3000/-रु0 तक की आय के नखासों/ बाजारों पर = 200/-रु0 वार्षिक	3- वर्ष में एक बार या दो बार एक सप्ताह से अधिक एवं 15 दिन से कम अवधि के लिए लगने वाले मेलों पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क 2000/-रु0
	4- 3000/-रु0 से अधिक किन्तु 5000/-रु0 तक की आय के नखासों/ बाजारों पर = 350/-रु0 वार्षिक	4- वर्ष में एक अथवा दो बार एक सप्ताह से कम अवधि के लगने वाले मेलों पर वार्षिक शुल्क 1000/-
	5- 5000/-रु0 से ऊपर की आय के नखासों/ बाजारों पर - = 500/-रु0 वार्षिक	5- पूरे वर्ष सप्ताह में दो दिन लगने वाले निजी पशु बाजारों/ नखासों पर लाइसेंस शुल्क 3000/-रु0 वार्षिक।
		6- पूरे वर्ष सप्ताह में एक दिन लगने वाले पशु बाजार/ नखासों का वार्षिक लाइसेंस शुल्क 2000/-रु0
		7- सामान्य बाजार का वार्षिक शुल्क 1000/-
	नोट:- वार्षिक आय का तात्पर्य प्रतिवर्ष की पहली अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक अर्थात वित्तीय वर्ष की कुल आय से है।	नोट:- सामान्य बाजार का लाइसेंस अलग से लेना होगा। 2- ग्राम पंचायत द्वारा पशु बाजार/नखासा/ मेला लगाने पर उपरोक्त का 50 प्रतिशत वार्षिक शुल्क होगा।
6-(ब)		6-(ब) पशु नखासा/बाजार की श्रेणी निम्न प्रकार होगी:- 1- गाय, बैल, भैंस, भैंसा, ऊंट, हाथी, 2- घोड़ा, घोड़ी, खच्चर, गधा, गधी 3- भेड़/ बकरी तथा अन्य पशु। 4- सुअर 5- सामान्य बाजार। नोट:- सामान्य बाजार में पशु बाजार नहीं लगेगा।

क्रमश:::::::2 पर

प्रमाणित

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, कन्नौज

Scanned by TapScanner

C/99

धारा सं०	पूर्व में स्वीकृत उपविधियाँ	स्वीकृत उपविधियाँ
6(ख)		6(ख) लाइसेंस की अवधि एक वर्ष अर्थात 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक होगी। प्रत्येक वर्ष 31 मार्च से पूर्व लाइसेंस का नवीनीकरण करवाना अनिवार्य है। 31 मार्च तक लाइसेंस के नवीनीकरण न होने की दशा में नवीनीकरण कराये जाने की तिथि तक रू0 50/- प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क अलग से देना होगा। नोट:- केवल एक प्रयोजन के लिए उन्हीं दिनों में तीन किलोमीटर के अन्दर केवल एक ही लाइसेंस निर्गत किया जायेगा। प्रदर्शनी पर भी यही दरें लागू होंगी।

प्रमाणित

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, कन्नौज

(प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी)
आयुक्त
कानपुर मण्डल

शास्ति

नगर पंचायत, चोपन, सोनभद्र नगर पंचायत अधिनियम की धारा 299 (1) के अधीन निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के किसी भी उपनियम का उल्लंघन दण्डनीय होगा जो रु0 1000.00 (एक हजार रुपया) तक हो सकता है और ऐसा भंग निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी निरन्तर अपराध करते रहने का सिद्ध हो, रु0 25.00 (पच्चीस रुपया) तक हो सकता है।

नृसिंह नपलच्याल,
आयुक्त,
वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

जिला फर्रुखाबाद, कन्नौज

खण्ड—घ—पंचायती राज

26 अक्तूबर, 1995 ई0

सं0 2-39/23-26-94-95--जिला पंचायत, फर्रुखाबाद ने ग्रामीण क्षेत्र में चलने वाली चक्कियों, मिलों, फैक्ट्रियों एवं औद्योगिक संस्थानों को नियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु विज्ञप्ति संख्या 4063/23-3-86, दिनांक 3 मई, 1986 द्वारा प्रकाशित उपविधियों की धारा 8 व 9 में निम्नलिखित संशोधन किया है, जो आयुक्त, कानपुर मण्डल कानपुर द्वारा पुष्ट किए जाने के पश्चात् उ0 प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 24 (2) के प्रयोजनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है, जो प्रकाशन की तिथि से लागू मानी जायेगी :

धारा सं0	स्वीकृत उपविधियां		संशोधित उपविधियां	
8	फैक्ट्रियों के अन्तर्गत निम्नलिखित के उत्पादन/भण्डारण करने वाली फैक्ट्रियों को लाइसेंस शुल्क उनके सम्मुख अंकित दरों के अनुसार जमा करना होगा :		फैक्ट्रियों के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुओं के उत्पादन/भण्डारण करने वाली फैक्ट्रियों को लाइसेंस शुल्क उनके नाम के आगे अंकित दरों के अनुसार वार्षिक जमा करनी होगी :	
		रु0 वार्षिक		रु0 वार्षिक
	1—चीनी मिल	1000.00	1—चीनी मिल	5000.00
	2—शुगर केशर, सल्फर प्लान्ट	200.00	2—शुगर केशर सल्फर प्लान्ट	2000.00
	3—पावर कोल्हू	100.00	3—पावर कोल्हू	500.00
	4—राइस मिल चिमनी चालित	200.00	4—राइस मिल चिमनी चालित—	
			(अ) दो टन तक क्षमता	1000.00
			(ब) दो टन से अधिक क्षमता	2000.00
	5—सब्जी/फल सुरक्षित रखने के लिए भण्डार/कोल्ड स्टोरेज—		5—सब्जी/फल सुरक्षित रखने के लिए भण्डार/कोल्ड स्टोरेज—	
	(अ) कमरा एक	300.00	(अ) 35000 कुन्तल तक भण्डारण क्षमता	2000.00
	(ब) कमरा दो	400.00	(ब) 35000 से 60000 कुन्तल तक भण्डारण क्षमता	3000.00
	(स) कमरा तीन या अधिक	500.00	(स) 60000 कुन्तल से अधिक भण्डारण क्षमता	5000.00

प्रमाणित

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, कन्नौज

उपविधि सं0	स्वीकृत उपविधियां रु0 वार्षिक	संशोधित उपविधियां	रु0 वार्षिक
6—आइस फैक्ट्री	100.00	6—आइस फैक्ट्री	2000.00
7—खाद फैक्ट्री	2000.00	7—खाद फैक्ट्री—	
		(अ) हाथ से चालित	1000.00
		(ब) मशीन से चालित	5000.00
8—साबुन फैक्ट्री	100.00	8—साबुन फैक्ट्री	500.00
9—तम्बाकू सिगरेट	100.00	9—तम्बाकू सिगरेट	1000.00
10—ईंट फैक्ट्री	100.00	10—ईंट फैक्ट्री	2000.00
11—सीमेन्ट पाइप फैक्ट्री	100.00	11—सीमेन्ट पाइप फैक्ट्री	2000.00
12—चमड़ा फैक्ट्री	100.00	12—चमड़ा फैक्ट्री	1000.00
13—चमड़े का कलेण्डर फैक्ट्री	100.00	13—चमड़े का कलेण्डर फैक्ट्री	1000.00
14—कृषि यन्त्र फैक्ट्री	100.00	14—कृषि यन्त्र फैक्ट्री	100.00
15—फ्लोर मिल/आइस मिल/ लकड़ी टेम्परिंग	100.00	15—फ्लोर मिल/ आइस मिल/ लकड़ी टेम्परिंग	2000.00
		16—अन्य किसी प्रकार की फैक्ट्री	500.00

9—इन उपविधियों के अन्तर्गत जारी किये गये लाइसेन्स का नवीनीकरण प्रति वर्ष कराया जाना अनिवार्य होगा तथा नवीनीकरण का शुल्क नवीन लाइसेन्स के बराबर होगा ।

31 मार्च तक लाइसेन्स का नवीनीकरण कराना आवश्यक है, 31 मार्च के पश्चात् लाइसेन्स का नवीनीकरण कराने पर 50 रु0 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देना होगा ।

प्रमाणित

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत
फर्रुखाबाद

प्रभात चन्द्र चतुर्वेदी,
आयुक्त,
कानपुर मण्डल, कानपुर ।

प्रमाणित

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, कन्नौज

पी0एस0यू0पी0—37 हिन्दी गजट, भाग 3—1995 ई0 ।
मुद्रक और प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।